27/8/25	पत्रावली पेश हुई। कोई भी उप. नहीं आया। वादी व उनके वकील को बार-बार आवाज लगाई किन्तु कोई भी उप. नहीं आया। वादी व उनके वकील के बावजूद सूचना के अनु० होने से पत्रावली अदम हाजरी अदम पैरवी में खारिज की जाती है। पत्रावली फैसल शुमार होकर रिकार्ड रूम हो। बाद पूर्ति वापिस दफ्तर हो। (हस्ताक्षर) उपखण्ड अधिकारी बहरोड़ (कोटपूतली-बहरोड़)